213/23

लगते विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी खसरा संख्या 767 अवस्थित है। प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खेतों की सीमाऐं एक दुसरे से मिलती है और सीमाओं को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद पैदा हुआ है। यदि दौराने दावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी की जाती है अथवा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की मौका स्थिति में फेरबदल किया जाता है,तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है, व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रथम द्रष्यता प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा विप्रार्थी संख्या 01 से 03 को आगामी पेशी तारीख 14.8.2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मूगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1550/771 क्षेत्रफल 1.4569 हैक्टयर भूमि तक ही मौके की यथास्थिति बनाये रखेगे। विप्रार्थी को जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी.नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते–विप्रार्थी की तलबी एवं जवाब हेतु दिनांक 14.8.2023 को पेश हो

[signature]

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

14.8.2023 वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की ओर से प्रकरण में Not Press किया गया है। चूंकि मूलवाद का निस्तारण हो गया है। ऐसी सूरत में न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 19.7.2023 को निरस्त किया जाकर, [illegible] को अन्तर्गत आदेश [illegible] इसी स्टेज पर [illegible] किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Not Press
[signature]

[signature] 14/8
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.08.28 17:01:15 IST
Reason: SelfAttested